

48

प्रकरण क्रमांक

1 - निगरानी 106-07

R 1092-I/107

हाजी मीराबदा पिता हाजी फकीरमोहम्मद
निवासी बडोद, तहसील बडोद जिला साजापुर
म०प्र० - - - - - प्राथी आवेदक
विहद

61) (5H. No. 31444)
अनुविभागीय अधिकारी
उत्तर प्रदेश (प्राथी)
26/6

- 1- हाजी पीरमोहम्मद पिता हाजी फकीरमोहम्मद
 - 2- दृष्णाबाई पति जवाहरलाल भावसार
 - 3- संजय पिता जवाहरलाल भावसार
 - 4- मुन्नेल पिता जवाहरलाल भावसार
 - 5- रोहित पिता जवाहरलाल भावसार
- स.स. निवासी गण बडोद, तहसील बडोद
जिला साजापुर म०प्र० - - - प्रतिप्राथीगण
- 6- अनुविभागीय अधिकारी आगर, बडोद - प्रतिप्राथी

म०प्र० मूरठा सं०मी धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी आवेदन

माननीय महोदय,

1- निवेदन है कि अनुविभागीय अधिकारी महोदय आगर बडोद
वद्वारा प्रकरण क्रमांक 4। फर्निकोबन। 06-07 में पारित आदेश दिनांक
11-5-07 से पीडित होना माननीय के समक्ष निम्नानुसार निगरानी -
आवेदन पत्र अन्दर म्याद प्रस्तुत है। : सलग्न-1 आदेश दिनांक 1-5-07
की पंसाणित प्रतिलिपि :।

2- यह कि संविधान की धारा 41 के अन्तर्गत बनाये गये निश्च
1:1: की टिप्पणी अनुसार माननीय राजस्व मण्डल की सीधे पुनरिजाण
अनवेदन प्रस्तुत करने के प्रावधान है। माननीय न्यायालय से शीघ्र न्याय -
मिलने के विश्वास के साथ यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत है।

निगरानी के आधार

3
16


3- यहकि प्राथी एवं प्रतिप्राथी क्रमांक -1 के भूमिस्वामी
स्वत्वों की भूमि खाता क्रमांक 279 वर्ष 1991-92 का रकबा 2-938 हैक्टर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1092-एक/07

जिला - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/11/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एन. उपाध्याय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों।</p>	<p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>